संख्या-12/2016/1704/बयालिस-2015-08(बजट)/2015

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 29 जनवरी, 2016**

विषय :- बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में कुश्ती हाल के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0- 402/नि0स्पो0का0गोरखपुर कु0हा0पत्रा0/2015-16, दिनांक 14 जुलाई, 2015 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में कुश्ती हाल के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 516.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा रू0 258.18 लाख (रू0 दो करोड़ अट्ठावन लाख अठारह हजार मात्र) निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 258.18 लाख (रू0 दो करोड़ अट्ठावन लाख अठारह हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3)- प्रायोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने से पूर्ण मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(4)- प्रायोजनान्तर्गत 1540.45 घ0मी0 मिट्टी भराई हेतु रू0 6.74 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति से संस्तुति न होने के कारण इस मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त रू0 03.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है, ताकि निर्माण कार्य में कठिनाई न हो। अवशेष धनराशि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति के पश्चात देय होगी।

(5)- प्रायोजना प्रस्ताव में टीक वुड फ्लोरिंग एवं परफोरेटेड जिप्सम बोर्ड, फाल्स सीलिंग का प्राविधान किया गया है, जो लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, के प्रयोग पर नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

....2

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका पृष्ठ- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(7)- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग की वर्ष- 2014 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्यमदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों में उपलब्ध नहीं है, उन कार्यमदों की लागत का आकलन बाजार दरों अथवा डी0एस0आर0 के आधार पर किया गया है।

(8)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(9)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(10)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(11)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(12)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(13)- प्रायोजनान्तर्गत समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-61-बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर-6102-कुश्ती हाल का निर्माण-24-महद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5- 53/2016, दिनांक 27 जनवरी 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

.....3

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 12/2016/1704(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, गोरखपुर।
(7)- प्रधानाचार्य, बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर।
(8)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(9)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in